संख्या- 68/2021/2145जेएल/22-3-2021-100(138)/2016

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः14 दिसम्बर, 2021

विषय- जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मुनीर महताब पुत्र श्री महताब अली को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35475/सामा-1(4)/109/बंदी स्था0 (जि0का0 बिजनौर)/2021, दिनांक 12-11-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में शासन के पत्र संख्या-60/2021/2043जेएल/22-3-2021-100(138)/2016, दिनांक 22-11-2021 द्वारा जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मुनीर महताब पुत्र श्री महताब अली को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, अम्बेडकर नगर में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बिजनौर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मुनीर महताब पुत्र श्री महताब अली को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-68/2021/2145जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर/अम्बेडकरनगर/प्रयागराज ।
4- पुलिस अधीक्षक, बिजनौर/अम्बेडकरनगर/प्रयागराज ।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, बिजनौर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, बिजनौर से केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in